रजिस्ट्री सं० डी०ए० ल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2371] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 2371] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ASHADHA 28, 1941

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2019

का.आ. 2601(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मिजोरम (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, मिजोरम कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

1.	श्री लियांडावला भारतीय वन सेवा एच. न. बी-32/बी खटला आईजॉल पी.ओ. आईजॉल-796001, मिजोरम।	अध्यक्ष;
2.	प्रो. लालनंटलुआंगा पर्यावरण विज्ञान विभाग मिजोरम यूनिवर्सिटी, तेनहरिल, आईजॉल, मिजोरम।	सदस्य;
3.	मुख्य वन संरक्षक (योजना) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, मिजोरम सरकार।	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण, मिजोरम के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, मिजोरम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, मिजोरम अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन मिजोरम राज्य के लिए गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय देगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, मिजोरम की सहायता करने के लिए मिजोरम राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति, (एस.ई.ए.सी.) का गठन करती है (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् एस.ई.ए.सी., मिजोरम कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

1.	डा. त्वानेंगा एमवी-14 मिशन वेंग आईजॉल-796005, मिजोरम।	अध्यक्ष;
2.	श्री सी.लालडुहावमा सदस्य सचिव, मिजोरम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मिशन वेंग, मिजोरम।	सदस्य;
3.	श्री हेलन रोडींगलीयानी कार्यकारी इंजीनियर का कार्यालय, आईजॉल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन साउथ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मिजोरम सरकार, तैकुआथलांग पीएचई कॉम्पलेक्स, आईजॉल, मिजोरम।	सदस्य;
4.	श्री प्यू लालटनपुइया प्रधानाचार्य गर्वनमेंट जिरटिरी रेजीडेंन्शियल साइंस कालेज, रामथर वेंग, आईजॉल, मिजोरम।	सदस्य;
5.	वन संरक्षक (सेंट्रल सर्कल) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, मिजोरम सरकार।	सचिव।

6. एस.ई.ए.सी., मिजोरम के अध्यक्ष और सदस्य इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. एस.ई.ए.सी., मिजोरम ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट हैं ।

8. एस.ई.ए.सी., मिजोरम सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

9. मिजोरम राज्य सरकार, प्राधिकरण मिजोरम और एस.ई.ए.सी., मिजोरम के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

10. प्राधिकरण, मिजोरम के अध्यक्ष और सदस्यों तथा एस.ई.ए.सी., मिजोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता मिजोरम राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फ. सं. जे-11013/14/2009-आई.ए. **II(I)**]

अरविन्द नौटियाल, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 19th July, 2019.

S.O. 2601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Mizoram (hereinafter referred to as the Authority, Mizoram) comprising of the following Members, namely: -

1. Shri Liandawla, -Chairman;
 Indian Forest Service,
 H.No.B-32/B Khatla Aizawl,
 P.O Aizwal - 796001, Mizoram
2. Prof. Lalnuntluanga, -Member;
 Department of Environmental Science,
 Mizoram University, Tanhril, Aizwal, Mizoram
3. Chief Conservator of Forests (Planning), -Member Secretary.
 Environment, Forest and Climate Change Department,
 Government of Mizoram

2. The Chairman and Members of the Authority, Mizoram shall hold office for a term of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. The Authority, Mizoram shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Mizoram shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC), constituted under paragraph 5 for the State of Mizoram.

5. For the purpose of assisting the Authority, Mizoram, the Central Government in consultation with the State Government of Mizoram, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) (hereinafter referred to as SEAC, Mizoram) comprising of the following Members, namely:—

1. Dr. Tawnenga -Chairman;
 MV-14 Mission Veng
 Aizwal- 796005, Mizoram
2. Shri C. Lalduhawma -Member;
 Member Secretary, Mizoram Pollution Control Board,
 Mission Veng
 Aizawal, Mizoram
3. Shri Helen Rodingliani -Member;
 Office of the Executive Engineer,
 Aizwal Water Distribution Division South,
 Public Health Engineering Department, Government of
 Mizoram, Tuikhuahtlang,
 PHE Complex, Aizwal, Mizoram
4. Shri Pu Laltanpuia -Member;
 Principal
 Government Zirtiri Residential Science College,
 Ramthar Veng, Aizawl, Mizoram
5. Conservator of Forests (Central Circle) -Secretary.
 Environment, Forest and Climate Change
 Department, Government of Mizoram

6. The Chairman and Members of SEAC, Mizoram shall hold office for a term of three years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

7. The SEAC, Mizoram shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Mizoram shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

IndiaCode

9. The Government of Mizoram shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Mizoram and SEAC, Mizoram and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Mizoram and SEAC, Mizoram shall be paid as per the rules of the State Government of Mizoram.

[F. No. J-11013/14/2009-IA-II (I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.22 12:32:50 +05'30'